19/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री दिनेश गहलोत ने बहस मे रिव्यू प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी गई कि ग्राम जादरी के गत खसरा नंबर 167 से बने हाल खसरा नंबर 74, 75 की भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त. की भूमि होने के बावजूद सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा खसरा नं. 75/449 गलत रूप से नक्शे में तरमीम करते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किए जाने से प्रार्थी द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधि० के तहत नक्शे में शुद्धि के लिए दुरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया गया था। जिस प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा वाक्याति व कानूनी भूल करने से रिव्यू के जरिए नक्शे में शुद्धि के

आदेश पारित किए जाने की दलील दी। वकील अप्रार्थीगण श्री गणपत लाल चौधरी द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी गई कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-8-22 को रिव्यू करने की गुंजाईश नही है, यदि प्रार्थी न्यायालय आदेश से असंतुष्ट है तो अपील कर सकता है। लेकिन रिव्यू में न्यायालय को सीमित अधिकार है। रिव्यू केवल सीमित गलती को सुधार के लिए है, लेकिन जहां पूरे निर्णय को उलटना है तो वहां रिव्यू के प्रावधान लागू नही होते है। प्रार्थी अपने उक्त प्रार्थना पत्र के द्वारा पूर्व मे न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-8-22 को नये सिरे से निर्णय कराना चाहता है जो प्रार्थना पत्र धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधि० व ऑर्डर-47, R-1 CPC में प्राविधित रिव्यू के प्रावधानों के तहत परिपोषणीय नही होने से खारिज किए जाने की दलील दी गई। वकील अप्रार्थीगण श्री गणपत लाल चौधरी द्वारा अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

1. RRT 2005 (1) - 545 (S.C.)
2. RRT 2012 (2) 741
3. RRT 2012 (2) 1397
4. RRT 2009 (2) 958.
5. RRT 2008 (1) 61

3.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

⑥ RRT 2010 (2) 1201

⑦ RRT 2009 (1) 59

⑧ RRT 2009 (1) 470.

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि रिव्यू में न्यायालय को बहुत ही सीमित अधिकार हो रिव्यू में न्यायालय मात्र ऐसे बिन्दुओं पर विचार कर सकता है जो बिन्दु पूर्व पारित आदेश के समय संबंधित पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष नहीं रखे गये एवं वे तथ्य प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक थे यदि ऐसे तथ्य रिव्यू में प्रकट किए जाते है तो उनको निर्णय में समावेशित करते हुए न्यायालय आदेश पारित कर सकता है। जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई नया तथ्य पेश नहीं किया है तथा पूर्व पारित निर्णय से असंतुष्ट होने से पूर्व के निर्णय को उलटने की मांग की जा रही है जिसकी अनुमति विधि के प्रावधान प्रदान नहीं करते हैं अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली